कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail–pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ती (80/25, दिनांक 05.12.2025)

अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर यांगचेन लाचुंगपा भारत-चीन सीमा के पास सिक्किम से गिरफ्तार स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्य प्रदेश एवं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली की ऐतिहासिक कार्रवाई*

माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव के संरक्षण हेतु लगातार समग्र प्रयास किये जा रहे है। इस दिशा में कार्यवाही करतेहुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्य प्रदेश एवं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली ने 10 साल से वांछित, अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर यांगचेन लाचुंगपा को, अंततः दिनांक 2.12.2025 को भारत-चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लाचुंग, मंगन, जिला उत्तर सिक्किम (सिक्किम) में कई महीनो की कड़ी मेहनत के उपरांत सफलता पूर्वक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया।

जुलाई 2015 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम में बाघ एवं पेंगोलिन के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों व पेंगोलिन के स्केल की नेपाल के रास्ते चीन में अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें यांगचेन लाचुंगपा वांछित थी। प्रकरण की गंभीरता के कारण वन मुख्यालय ने इसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को विवेचना हेतु सौंप दिया गया। एसटीएसएफ ने एक संगठित एवं अंतराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया जिसमें अभी तक कुल 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यांगचेन लाचुंगपा अंतरराष्ट्रीय बाघ तस्करी गिरोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसका नेटवर्क भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक फैला हुआ है। यांगचेन लाचुंगपा के गिरोह के कई देशो में फैले नेटवर्क को देखते हुए भारत सरकार के अनुरोध पर **इंटरपोल के द्वारा यांगचेन लाचुंगपा विरुद्ध रेड नोटिस भी जारी** किया गया है ताकि उसे किसी भी देश में सबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सके।

यांगचेन लाचुंगपा मूल रूप से चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत का निवासी है एवं भारत में मुख्यतः दिल्ली एवं सिक्किम राज्यों में रही/रहती है। यांगचेन के सर्वप्रथम वर्ष सितम्बर 2017 में भी पकड़ा कर ट्रांजिट रिमांड हेतु पेश किया गया था परन्तु न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद फरार हो गई, उसकी अग्रिम जमानत को मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी वर्ष 2019 में खारिज कर दिया था।

यांगचेन लाचुंगपा लगातार गिरफ़्तारी से बचने एजेंसियों को चकमा दे रही थी, अतत: दिनांक 2.12.2025 को मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स एवं केंद्र सरकार की वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली की सयुक्त टीम ने अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में -7 ° तापमान के क्षेत्र में जाकर योजनाबद्ध तरीके से घेराबंदी कर लाचुंग, मंगन (सिक्किम) से गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय गंगटोक के समक्ष पेश कर मध्यप्रदेश शासन का ठोस पक्ष रख कर ट्रांजिट वारंट दिनांक 3.12.2025 को रात्रि में प्राप्त किया गया और उसे मध्यप्रदेश लाया जा रहा है । इस कार्यवाही में सिक्किम पुलिस का महत्तवपूर्ण सहयोग रहा।

यह वन अपराध प्रकरण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह देश का पहला मामला है जिसमें शिकारियों, कूरियर, बिचौलिये और तस्करों सहित 31 व्यक्तियों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया जा चुका है, पूर्व मे गिरफ्तार सभी आरोपियों को सजा भी हो चुकी है। आज आरोपी यांगचेन को माननीय विशेष न्यायालय नर्मदापुरम में पेश कर रिमांड माँगा जायेगा ताकि इस गंभीर प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा सके। इस सफलता पूर्वक कार्यवाही में शामिल एसटीएसएफ के दल को उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरुष्कृत किया जायेगा।

जय हिन्द!

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल